# सरस डेयरी ऑफिस में गंगाजल छिड़कने के मामले में अनिश्चितकालीन धरना जारी

## मीणा समाज और डेयरी से जुड़े लोगों में घटना के बाद से आक्रोश फैल गया था

- **प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह छुआछूत और भेदभाव की मिसाल है, जो डेयरी जैसे सहकारी संस्थान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी**
- **सीकर-झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (पलसाना) में चेयरमैन जीतराम मील का विरोध बढ़ता जा रहा है**

**सीकर, (निसं)।** ऑफिस में गंगाजल छिड़कने के मामले में सीकर-झुंझुनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (पलसाना) में चेयरमैन जीतराम मील का विरोध बढ़ता जा रहा है। मीणा समाज और डेयरी से जुड़े लोगों ने सोमवार को डेयरी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जो मंगलवार को भी जारी है।

जानकारी के अनुसार सरस डेयरी (पलसाना) के एमडी कमलेश मीणा के तबादले के बाद चेयरमैन जीतराम मील ने एकादशी पर ऑफिस में गंगाजल का छिड़काव किया था। इसका वीडियो सामने आया था। वीडियो में चेयरमैन एमडी की कुर्सी और कार्यालय में गंगाजल छिड़क रहे थे। इस घटना के बाद से मीणा समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके चलते डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादक, किसान और समाज के लोग धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह छुआछूत और भेदभाव की मिसाल है, जो डेयरी जैसे सहकारी संस्थान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वहीं, सोमवार शाम को धरनास्थल पर पहुंचे दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि यदि समय रहते आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। विधायक ने कहाकि डेयरी में न छुआछूत चलेगी, न मिलावट और न ही भ्रष्टाचार। यदि उत्पादों में मिलावट पाई गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और खुद जांच करेंगे। जिम्मेदारों को अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह डेयरी उनके पिता चौधरी नारायण सिंह की मेहनत और प्रयासों से स्थापित हुई थी, लेकिन पिछले दो-तीन सालों से डेयरी में भ्रष्टाचार और मिलावट की शिकायतें लगातार आ रही है। इसके कारण डेयरी विवादों में बनी हुई है। इतना ही नहीं, वे खुद अब सरस के उत्पादों के बजाय निजी डेयरियों का दूध-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। विधायक ने एमडी कमलेश कुमार मीणा के तबादले के बाद हुई इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की ऐसी हरकतें असहनीय है।

जिला परिषद सदस्य जयंत निठरवाल ने कहा कि डेयरी प्रबंधन से अपील है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, वरना आंदोलन और तेज होगा। वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी चेयरमैन समेत सभी जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा।

# 50 लाख की पंजाब निर्मित शराब पकड़ी

**पाली, (नि.सं.)।** पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा करीबन 50 लाख कीमत की पंजाब निर्मित बियर के कुल 620 कार्टन बरामद तथा आरोपी गिरफ्तार कर शराब तस्करी में प्रयुक्त गैस टेंकर जब्त किया। पुलिस अधीक्षक पाली आदर्श सिद्धू आईपीएस ने बताया की जिला पाली में शराब तस्करी व एनडीपीएस तस्करी के रोकथाम व लोकल एवं स्पेशल एक्ट कार्यवाही का विशेष अभियान चलाया जाकर सख्त निगरानी शुरू की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप विपिन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के निर्देशन में 8 सितम्बर को एक गैस का टेंकर शराब परिवहन करते हुए को जब्त किया। पुलिस ने नेशनल हाईवे 162 पर नया गांव पुलिया के पास सर्विस रोड पर चालक देराजराम के कब्जे से टेंकर में से अवैध पंजाब निर्मित बियर के 620 कार्टन के जब्त किये। मुलजिम द्वारा टेंकर में गैस की आड में अवैध शराब की तस्करी करना पाया गया।


**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड निवाई**

क्रमांकःEE Newai/2025-26/डी- 2403-11 दिनांक : 22.08.2025

**निविदा निरस्तीकरण आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक 1916-25 दिनांक 25.07.2025 द्वारा निविदा सूचना संख्या 13/2025-26 आमन्त्रित की गई थी। उक्त निविदा में क्र.सं. 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 पर उल्लेखित कार्यों में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण उक्त निविदा को निरस्त किया जाता है।

RO. No. DIPR/10929-04.08.2025

(गौत्तम मीणा) अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निवाई

DIPR/C/12573/2025



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN, DAUSA**

PWD Dak Banglow Campus Dausa

दूरभाष-01427-223025, E-mail: eedausa.pwd@rajasthan.gov.in

No. Date:

**Corrigendum. No. 01**

With reference to Nit No. 14 Year 2025-26 issued by this office for the works. All the prospective bidder are hereby informed that department has extend the Time Period of bid submission due to technical issue as follows.

| Particulars | Original Date | Revised |
|---|---|---|
| Bid Submission Closing Date | 14.08.2025 to 28.08.2025 | 14.08.2025 to 15.09.2025 |
| BID Opening Date | 29.08.2025 | 16.09.2025 |

Other Terms and Conditions of NIT shall remain the same as before.

UBN NO:-1. PWD2526WOB09808, 2. PWD2526WOB 09810, 3. PWD2526WOB 09812 4. PWD2526WOB 09815, 5. PWD2526WOB 09816, 6. PWD2526WOB 09817

Executive Engineer P.W.D.Dn. Dausa

DIPR/C/12692/2025



**उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान**

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/132 & 134 Date :- 01/09/2025

**ई-निविदा सूचना संख्या : 35/2025-26**

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| | |
|---|---|
| निविदा कार्यो की कुल लागत | रूपये 157.12 लाख (03 कार्य) |
| ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि | 05.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 29.09.2025 को सांयः 6.00 बजे तक |
| Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी | 05.09.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 29.09.2025 को सांयः 6.00 बजे तक |
| ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी | 01.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे |

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2526SLOB00241, 242 & 243

अधिशाषी अभियन्ता - विद्युत उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/25/9519


# शराब ठेके पर रंगदारी मांगी, दो जने गिरफ्तार

- **पूर्व में भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जस चुका है, जांच में जुटी पुलिस**

**पावटा, (निसं)।** विराटनगर थाना पुलिस ने शराब ठेके पर सेल्समैन को धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान देशराज और रोहित के रूप में हुई है।

मामले की जांच कर रहे विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि राजेंद्र कुमार मीणा पुत्र जगदीश मीणा निवासी बागड़ियों की ढाणी तन सताना ने मामला दर्ज करवाया था कि मैं जय भवानी वाइंस मेड की पालड़ी तिराहे वाली दुकान पर सेल्समैन का काम करता हूं। 21 अगस्त को में दुकान पर बैठा था। उसी समय सोनू कुमार, कार्तिक, बॉबी दुकान के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आज के बाद मेड की दुकान चलानी है तो हर महीने 50 हजार रुपए रंगदारी देनी होगी। साथ ही हमें वह हमारी टीम को मुफ्त में शराब भी उपलब्ध करवानी होगी। अगर तुम लोगों ने रंगदारी व शराब नहीं दी तो तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं मेरे साथ मारपीट करने लगे व गल्ला लूटने की भी कोशिश की। इनसे हमें जान और माल का खतरा है, जिस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली बहरोड देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्तमान में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत त्वरित कार्यवाही करने के निर्देशों की पालना में अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहनलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मेहनत व लगन से कार्य करते हुए आसूचना संकलन कर गहनता से तलाश करते हुए देशराज उर्फ कार्तिक पुत्र मुक्तिलाल निवासी झाड़ोदिया की ढाणी तन मैड, रोहित कुमार उर्फ बॉबी पुत्र स्व. श्यामलाल निवासी निवासी झाड़ोदिया की ढाणी तन मैड को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व में भी सोहनलाल उर्फ सोनू उर्फ मुक्तिलाल निवासी झाड़ोदिया की ढाणी तन मैड को गिरफ्तार किया जा चुका है।

# हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लाइन हाजिर

- **अपराधियों के साथ फोटो वायरल हुआ था**

**जोधपुर, (कासं)।** जिला पश्चिम की स्पेशल टीम में लगे हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर के आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं। इनकी फोटो सोशल मीडिया पर अपराधियों के साथ वायरल हुई थी। जिस पर डीसीपी वेस्ट ने गंभीरता से लिया और आदेश जारी किए। मामले में अब जांच एडीसीपी वेस्ट को सौंपी गई है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि डीएसटी वेस्ट में लगे हेड कांस्टेबल ओमाराम डांगी एवं कांस्टेबल भगाराम को लाइन हाजिर किया गया है। इनकी फोटो अपराधियों के साथ वायरल हुई थी। हालांकि फोटो पुरानी थी। जांच उच्चाधिकारी को सौंपी गई है।

# दो बाइकों की टक्कर में सरकारी शिक्षक की मौत

**सीकर, (निसं)।** सीकर जिले के पलसाना में सोमवार देर रात एक्सीडेंट में एक सरकारी शिक्षक की मौत हो गई। टीचर सड़क पर एक घंटे तक तड़पते रहे। वहां से गुजर रही रोडवेज बस के कंडक्टर-ड्राइवर ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात खंडेला रोड पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक सरकारी टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल अवस्था में सड़क पर तड़पते रहे टीचर को रोडवेज बस के स्टाफ ने पलसाना के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

टीचर शंकर लाल (45) निवासी अमरपुरा अलोदा (सीकर) गढ़वालों की ढाणी के पास बाइक से जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने शंकर लाल की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। काफी समय तक शंकर लाल सड़क पर ही पड़े रहे। हादसे के बाद वहां से गुजर रही कोटपूतली डिपो की रोडवेज बस के ड्राइवर को सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा दिखा, जिसके बाद उसने बस को रोका और कंडक्टर व यात्रियों की हेल्प से टीचर शंकर लाल को पलसाना हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने टीचर को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मॉर्च्युरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार मौके पर सिर्फ एक ही बाइक बरामद हुई है, जबकि दूसरी बाइक के टूटे-फूटे पार्ट्स बिखरे पड़े थे। फिलहाल खाटूश्यामजी सदर थाना बाइक समेत उस पर सवार की तलाश में जुट गई है। वहीं मृतक टीचर के परिजनों ने बताया कि शंकर लाल सरकारी टीचर थे और रेटा स्कूल में पढ़ाते थे।

# मिलावट की आशंका पर दुकानों से सैम्पल लिये

**भीलवाड़ा, (निसं)।** मिलावट की आशंका पर सवाईपुर और चांवडिया चौराहा स्थित दुकानों से अलग-अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है।

भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव की ओर से सवाईपुर क्षेत्र के खाद्य निर्माण इकाइयों का सघन निरीक्षण करते हुए मिलावट की शंका होने पर कृष्णा डेयरी कोटा रोड सवाईपुर से मावा और पनीर का, दीपक ऑयल मिल चावंडिया चौराया बन का खेड़ा से मूंगफली तेल का एवं सांवरिया ट्रेडिंग कंपनी सवाईपुर से मसूर दाल और मिर्ची पाउडर का खाद्य नमूना लिया गया है। प्रयोग शाला से खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।


**MBM UNIVERSITY, JODHPUR**

No. : MBMU/OIC/2025-26/769 Date :- 04/09/2025

**NOTICE INVITING BID**

Bids are invited from interested eligible and experienced vendors/suppliers for the supply/provision of the following items/services at MBM University, Jodhpur. All other particulars of the bid may be visited on the portal sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in and www.mbm.ac.in.

1. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00034 Dining Table and Benches for hostel at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹12,25,000/- rupees and last date of bid submission 15.09.2025, 12:00 Noon.
2. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00035 Furniture Items for HRD Centre at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹14,60,000 and last date of bid submission 15.09.2025, 12:00 Noon.
3. Bids vide UBN No: MBM2526GSOB00036 Supply Printer and Computer at M B M University, Jodhpur. with estimated amount ₹2,63,000 and last date of bid submission 10.09.2025 12:00 Noon.
4. Bids vide UBN No: MBM2526GLOB00037 Drawing Table and Stools at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹11.60 Lakhs and last date of bid submission 15.09.2025 12:00 Noon.
5. Bids vide UBN No: MBM2526GSOB00038 Procurement of Ceiling Fans at MBM University, Jodhpur with estimated amount ₹10.00 Lakhs and last date of bid submission 15.09.2025 12:00 Noon.

OIC-Central Store MBM University

Raj.Samwad/C/25/9522


# घड़सना तहसीलदार और कानूनगो के खिलाफ शिकायत दी

- **इंतकाल के लिए 15 हजार रुपए मांगने का आरोप, एसीबी ने मामला दर्ज किया**
- **रावला के एक किसान ने एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी**

**अनूपगढ, (निसं)।** यहां एसीबी ने घड़साना की तहसीलदार बबीता और ऑफिस कानूनगो के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। रावला के एक किसान ने एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा को शिकायत दी थी।

शिकायत में बताया कि किसान के पिता के नाम चक 15 आरजेडी में 21 बीघा जमीन दर्ज है। पिता ने 20 सितंबर 2023 को देहांत से पहले रजिस्टर वसीयत किसान और उसके भतीजे के नाम कर दी थी। किसान ने फरवरी 2025 में इंतकाल दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया। तहसील में पदस्थापित ऑफिस कानूनगो रेशम सिंह ने इंतकाल के लिए 2 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत मांगी। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि शिकायत के सत्यापन में रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता की रिकॉर्डिंग की गई। पहले 20 हजार रुपए की मांग की गई, बाद में 15 हजार रुपए में तय हुई। जांच में किसान की शिकायत सही पाई गई। डीएसपी ने बताया कि किसान की शिकायत सही पाए जाने पर 23 मई 2025 को श्रीगंगानगर एसीबी के द्वारा तहसीलदार बबीता और कानूनगो रेशम सिंह को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया। पीड़ित किसान को तहसील कार्यालय में भेजा गया, मगर रेशम सिंह के द्वारा परिवादी को शाम 4 बजे आने के लिए कहा गया। जब परिवादी शाम को वापिस गया तो रेशम सिंह और तहसीलदार बबीता को शक हो गया तो उन्होंने बिना रुपए लिए विरासत इंतकाल दर्ज करने के लिए सम्बन्धित पटवारी को निर्देशित कर दिया। डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि हालांकि ट्रैप की कार्रवाई सफल नही हो पाई। मगर शिकायत का सत्यापन होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के बाद आज तहसीलदार बबीता और रेशम सिंह के खिलाफ 15 हजार रुपए विरासत इंतकाल दर्ज करने की मांग का मुकदमा दर्ज किया गया है।

# मूसलाधार बारिश के बीच भारतीय सेना ने 21 ग्रामीणों को बचाया

**जयपुर/बाड़मेर।** गोल्डन कटार डिवीजन के सैनिकों ने त्वरित और समन्वित मानवीय प्रयास से 7 और 8 सितंबर को बाड़मेर जिले के दसूरिया गांव की महिलाओं और बच्चों सहित 21 ग्रामीणों को सफलतापूर्वक बचाया।

ले. कर्नल निखिल धवन, जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) जयपुर के अनुसार यह अभियान बाखासर के सरपंच भंवर लाल बामणिया के तत्काल अनुरोध पर शुरू किया गया था। रैप्टर ब्रिगेड की एक इन्फैंट्री बटालियन की क्विक रिएक्शन टीम ने शीघ्रता से प्रभावित गाँव में पहुँचकर प्रतिकूल मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 12 लोगों को बचाया। इसके बाद, उसी ब्रिगेड की एक आर्म्ड रेजिमेंट के जवानों ने बचाव अभियान में भाग लिया और इस संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप 9 और ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया, इस प्रकार से कुल 21 लोगों को बचाया गया। यह अभियान एसडीआरएफ, राजस्थान के सहयोग व समन्वय से संचालित किया गया।इस तुरंत और समय पर तीव्र कार्यवाही के परिणामस्वरूप बहुमूल्य जीवन बचाए गए, जो भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प और धैर्य को दर्शाता है।

**गोल्डन कटार डिवीजन के सैनिकों ने दसूरिया गांव की महिलाओं और बच्चों सहित 21 ग्रामीणों को बचाया।**

# दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

- **कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है**

**श्रीगंगानगर, (निसं)।** यहां 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 ने सुनाया। दोषी हरमन सिंह की उम्र 19 साल से भी कम है। पुलिस जांच में सामने आया था कि घटना के समय दोषी की उम्र 18 साल 28 दिन थी। इसके लिए दोषी के स्कूल के रिकॉर्ड की जांच की गई थी।

एसपीपी हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि दोषी हरमन सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत 20 साल के कारावास के अलावा 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा बीएनएस की धारा 137(2) के तहत तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदम अदायगी छह माह होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी के खिलाफ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के परिजन ने केस दर्ज करवाया था। रामसिंहपुर थाने में 15 जनवरी 2025 को नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि दोषी हरमन सिंह पीड़िता को अपने रिश्तेदार के घर ले गया और बार-बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में भी केस दर्ज हुआ। सबूत के तौर जब्त की गई चादर की एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।


**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर**

क्रमांक :- प.46/अअउ/वि.बो/बिड/2024-25/राजकाज नं. 17637692 दिनांक :- 09/09/2025

**निविदा सूचना संख्या -04/2025-26 (NIB No. AGM2526A0145)**

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड उदयपुर के अन्तर्गत जिला उदयपुर, राजसमन्द एवं सलुम्बर में विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्यो की ऑनलाईन निविदाएँ ई-प्रोक्युरमेन्ट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 03.10.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0145 & UBN No. AGM2526WLRC00544 to 547) पर भी देखा जा सकता है।

राज.संवाद/सी/25/9543 अधिशाषी अभियन्ता



**DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY**

(A State Funded University of Rajasthan), Plot No. 8, Dehni Kalan, JDA Institution Scheme, Bagru, Tehsil : Sanganer, Dist. : Jaipur-303007, (Rajasthan), E-Mail : registrar@alujaipur.ac.in

F.No. :- 5(4)Exam-Secy./ALU/2025-26/2687 Date :- 04/09/2025

**NOTICE INVITING E-BID**

E-Bids for hiring of services for "Marking fictitious roll number on answer books, double punching of flaps & its tearing, scanning of answer books and preparation of database for onscreen evaluation work." are invited from interested bidders up to 29/09/2025 time 2:00 pm. Other particulars of bid may be visited on procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in & www.alujaipur.ac.in university website. Approximate value of the procurement is Rs. 240 lakhs.

UBN : ALU2526SLOB00006

Raj.Samwad/C/25/9521 REGISTRAR



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD ELECTRICAL DIVISION BARAN**

S.No. 491 **Notice Inviting Bid** Date 29.08.25

**(NIT No 13/2025-26)**

Bids for 01 Electrical work at Baran are invited from interested bidders up to 06.00 PM of 12.09.2025 (Friday) Other particulars of bid may be visited on the procurement portalhttp://eproc.rajasthan.gov.in.http://sppp.rj.nic.in) of the Rajasthan State. The approximate value of the procurement is Rs 125.55 Lac

1. PWD2526WSOB11324

(Rachit Sharma) Executive Engineer PWD Elect. Dn Baran

DIPR/C/12923/2025



**कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)**

E-Mail : nagarpalikabaran@gmail.com स्टेशन रोड़, बारां Phone : 07453-230106

क्रमांक : नपबा/निर्माण/2025/4911-13 दिनांक : 04.09.2025

**ई-टेण्डर सूचना संख्या : निर्माण 50/2025-26**

नगर परिषद बारां द्वारा राजस्थान सरकार के अभियांत्रिकी विभागो में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको अथवा पीडब्ल्यूएफएआर रूल्स के अन्तर्गत पात्र संवेदको से विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखें। कार्यो की लागत 4.25 लाख रूपये से 19.84 लाख रूपये तक है तथा UBN No. निम्नानुसार है :-

1. DLB2526WSOB16710, 2. DLB2526WSOB16712, 3. DLB2526WSOB16713

राज.संवाद/सी/25/9505 आयुक्त, नगर परिषद बारां



**कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (वि.श्रे.) रामगंजमंडी जिला-कोटा**

क्रमांक :- 828 - 38 दिनांक :- 04/09/2025

**ई-निविदा सूचना संख्या 2/2025-26**

कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमंडी में सुरक्षा व्यवस्था ठेका हेतु सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति का कार्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/सहकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/भूतपूर्व सैनिक सहकारी संस्थाओं से ठेका पद्धति पर ऑन लाईन निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से दिनांक 20.09.2025 को सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in agriculture.rajasthan.gov.in department website पर भी देखी जा सकती है।

UBIN : DAM2526SLOB00749

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमंडी

राज.संवाद/सी/25/9531



**कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (वि.श्रे.) रामगंजमंडी जिला-कोटा**

क्रमांक :- 861 - 871 दिनांक :- 04/09/2025

**ई-निविदा सूचना संख्या 3/2025-26**

कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमंडी में सफाई व्यवस्था ठेका हेतु सफाईकर्ता की आपूर्ति का कार्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/सहकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/भूतपूर्व सैनिक सहकारी संस्थाओं से ठेका पद्धति पर ऑन लाईन निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से दिनांक 20.09.2025 को सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in agriculture.rajasthan.gov.in department website पर भी देखी जा सकती है।

UBIN : DAM2526SLOB00755

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमंडी

राज.संवाद/सी/25/9530



**कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर**

फोन न0 05644-230688 वेवसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur.com

क्रमांकः-भविप्रा/नीलामी/2025/12761 दिनांकः 04.09.2025

**ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर**

भरतपुर विकास प्राधिकरण भरतपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड ई-ऑक्शन द्वारा नीलाम किये जा रहे है,

**(नवरात्री एवं दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य ई-नीलामी)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | भूखण्ड संख्या | साईज फुट व मीटर में | क्षेत्रफल व.ग./ व.मी. | आरक्षित दर प्रति व.ग./व.मी. (लीज हेतु) | अमानत राशि (ई.एम.डी.) | ई-ऑक्शन प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.ग./व.मी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| नीलामी दिनांक : - 24 से 25 सितम्बर 2025 | | | | | | | |
| 1. | बिल्डिंग मैटेरियल योजना संख्या-14 (व्यावसायिक) | TYPE-A 47,48,49 | 10X30 | 300.00 व.मी. | 14000 व.मी. | 120000 | 40,000.00 प्रति व.मी. |
| 2. | | TYPE-A 52,54 | 10X30 | 300.00 व.मी. | 14000 व.मी | 120000 | 40,000.00 प्रति व.मी. |
| 3. | | TYPE-A 133 | 10X20 | 200.00 व.मी. | 14000 व.मी | 70000 | 35,000.00 प्रति व.मी. |
| 4. | | TYPE-B 30,32,33,34 | 06X20 | 120.00 व.मी. | 14000 व.मी | 39600 | 33,000.00 प्रति व.मी. |
| 5. | | TYPE-B 55, 56, 57,58, 59, 60, 61 | 06X20 | 120.00 व.मी. | 14000 व.मी | 39600 | 33,000.00 प्रति व.मी. |
| 6. | | TYPE-B 77 | 10X20 | 200.00 व.मी. | 14000 व.मी | 66000 | 33,000.00 प्रति व.मी. |
| 7. | एसपीएम नगर योजना (आवासीय) | 847, 848, 849, 850 | 18'X35' | 70.00 व.ग. | 11000 व.ग. | 47600 | 68,000.00 प्रति व.ग. |
| 8. | ट्रांसपोर्ट नगर योजना (व्यावसायिक) | 75 | 25'X80' | 222.22 व.ग. | 17000 व.ग. | 155554 | 70,000.00 प्रति व.ग. |
| 9. | | 1 (CORNER) | 30'X80' | 266.66 व.ग. | 17000 व.ग. | 333325 | 1,25,000.00 प्रति व.ग. |
| 10. | सैक्टर नं0-03 (आवासीय) | 24 CORNER | 58X69 | 444.67 व.ग. | 11000 व.ग. | 400203 | 90,000.00 प्रति व.ग. |
| नीलामी दिनांक : - 07 से 08 अक्टूबर 2025 | | | | | | | |
| 11 | बिल्डिंग मैटेरियल योजना संख्या-14 (व्यावसायिक) | TYPE-C 65, 90, 91, 92, 93, 96, 97 | 4.50X15 | 67.50 व.मी. | 14000 व.मी. | 27000 | 40,000.00 प्रति व.मी. |
| 12 | | TYPE-C 167, 168,169, 170, 172, 173, 175 | 03X10 | 30.00 व.मी. | 14000 व.मी. | 22500 | 75,000.00 प्रति व.मी. |
| 13 | | TYPE-C 272 | 03X03 | 9.00 व.मी. | 14000 व.मी. | 9900 | 1,10,000.00 प्रति व.मी. |
| 14 | | TYPE-C 296, 303, 308, 310 | 03X03 | 9.00 व.मी. | 14000 व.मी. | 9900 | 1,10,000.00 प्रति व.मी. |
| 15 | | TYPE-C 119 | 4.50X15 | 67.50 व.मी. | 14000 व.मी. | 27000 | 40,000.00 प्रति व.मी. |
| 16 | सैक्टर नं0-03 (व्यावसायिक) | 59, 60 | 3X6 | 18.00 व.मी. | 22000 व.मी. | 45180 | 2,51,000.00 प्रति व.मी. |
| 17 | | 62, 64 | 3X6 | 18.00 व.मी. | 22000 व.मी. | 45180 | 2,51,000.00 प्रति व.मी. |
| 18 | | 75 CORNER | 2.30X6 | 13.80 व.मी. | 22000 व.मी. | 31740 | 2,30,000.00 प्रति व.मी. |
| 19 | एसपीजैड योजना (आवासीय) | B-9 Corner | 10X18 | 180.00 व.मी.. | 10500 व.मी. | 99000 | 55,000.00 प्रति व.मी. |
| 20 | | B-145 Corner | 7.6X9 | 68.40 व.मी. | 10500 व.मी. | 34200 | 50,000.00 प्रति व.मी. |
| 21 | | B-160 Corner | 7.6 X 9 | 68.40 व.मी. | 10500 व.मी. | 34200 | 50,000.00 प्रति व.मी. |
| 22 | | C-66 Corner | 10X12 | 120.00 व.मी.. | 10500 व.मी. | 78000 | 65,000.00 प्रति व.मी. |
| 23 | | D-38 Corner | 9.5X15 | 142.50 व.मी. | 10500 व.मी. | 86925 | 61,000.00 प्रति व.मी. |
| 24 | एसपीजैड योजना (व्यावसायिक) | A 6-7 Corner | 18.6X20 | 372.00 व.मी. | 21000 व.मी. | 180420 | 48,500.00 प्रति व.मी. |

1. क.स. 1 से 24 के भूखण्डों हेतु रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, पहचान पत्र अपलोड करने की कार्यवाही दिनांक 11.09.2025 को प्रातः 10 बजे सेसारणी मे अंकित बोली प्रारम्भ किये जाने की तिथि से एक दिवस पूर्व सांय 6 बजे तक की जावेगी।
2. आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. ई-ऑक्शन की पूर्ण जानकारी व शर्ते प्राधिकरण कार्यालय में एवं sso.rajasthan→Urban services→Citizen service→E-Auction के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

**अन्य शर्ते एवं नियम**

1. अमानत राशि ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति को कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि (नियमानुसार) राशि अमानत के रूप में जमा करा नीलामी में भाग ले सकेगा। सफल बोली दाता की अमानत राशि विक्रय मूल्य में समायोजन की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की अमानत राशि पुर्नभुगतान कर दी जायेगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से 3 कार्यदिवस दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोलीदाता की जमा अमानत राशि प्राधिकरण पक्ष में जब्त की जाकर बोली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. ऑनलाईन नीलामी की दर स्वीकृति पश्चात सफल बोलीदाता को बोली की 35 प्रतिशत राशि को नीलामी दिनांक से 120 दिवस में जमा करानी होगी।
4. सफल बोलीदाता को बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि ऑनलाईन नीलामी दिनांक से 180 दिवस में जमा करानी होगी।
5. प्रत्येक भूखण्ड की नीलामी पर 1 प्रतिशत नीलामी कमीशन पृथक से देय होगा।
6. यदि सफल बोलीदाता मांगपत्र जारी दिनांक से 15 दिवस में समस्त राशि का जमा करता है तो बोली राशि में 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
7. यदि बोलीदाता बढाई गई अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहता है तो जमा 15 प्रतिशत राशि स्वतः ही प्राधिकरण पक्ष में जब्त हो जायेगी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
8. बोलीदाता को पेन कार्ड की प्रति जमा करानी होगी।
9. ऑनलाईन बोली 100/- रूपये प्रति वर्गगज/वर्गमीटर के गुणांक में ही स्वीकार की जायेगी।
10. नगरीय कर/लीज राशि योजना की आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिवर्ष देय होगी।
11. 300 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय भूखण्ड पर 10/- प्रति वर्ग मीटर एवं सभी व्यावसायिक भूखण्डों पर 25 प्रति वर्गमीटर की दर से पृथक से बी.एस.यू.पी फण्ड देय होगा।
12. भूखण्ड मौके पर जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जायेगा व क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले प्रस्तावित भूखंड की साइट का दौरा अवश्य करें।
13. नीलामी में विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों पर उचित प्रतिस्पर्धा होने की स्थिति में एवं उचित दर प्राप्त होने पर ही नीलामी समिति द्वारा भूखण्ड आवंटन की अनुशंसा योग्य माना जायेगा।
14. उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार (बिना किसी कारण) करने का अंतिम अधिकार प्राधिकरण अध्यक्ष में निहित है।
15. शर्ते भरतपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मान्य होंगी।
16. अमानत राशि व मांग पत्र ऑनलाईन पॉर्टल कें माध्यम से ही देय है।
17. 50 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य के आवासों/भूखण्ड पर आयकर का प्रावधान 194-IA के अनुसार केता को कुल भूखण्ड की राशि का एक प्रतिशत टीडीएस राशि जमा करानी होगी।
18. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को SSO ID के माध्यम से लॉगइन कर अरबन सर्विसेज में अपनी प्रोफाईल बनाकर ही भाग लेना होगा एवं धरोहर राशि भी ऑनलाईन जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने के पश्चात ही ऑनलाईन बोली लगाई जा सकेगी।
19. मौकानुसार भूखण्ड की साईज में परिवर्तन होने पर प्राप्त दर अनुसार राशि घटाई व बढाई जा सकेगी तथा गोलाई/त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र की राशि कम नही की जायेगी।
20. ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में अंतिम 5 मिनट में किसी भी आवास/भूखण्ड पर बोली लगने पर बोली का समय स्वत 5 मिनट बढ जायेगा।
21. आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।
22. भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर किसी भी प्रकार की इन्टरनेट नेटवर्क संबंधी समस्या के लिए जबाव देय नहीं होगा।

राज.संवाद/सी/25/9547 सचिव आयुक्त